

अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश,


लक्ष्मी काम्पलेक्स, विभूति खण्ड, गोगती नगर, लखनऊ।

पत्राक एक-दो-136-99(143) 1550 2019 दिनांक 30 अगस्त 2019

संयुक्त निदेशक अभियोजन,
जनपद सीतापुर।

कृपया शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2675(2)/छ-पु0-9-18-31(120) /17, दिनांक 29.8.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा श्री अशोक कुमार यादव, अभियोजन अधिकारी, जनपद सीतापुर को उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में कार्यभार ग्रहण हेतु धारणाधिकार वनाय रखते हुए कार्यमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान करत हुए, निर्देशित किया है कि सम्बन्धित अपर निदेशक अभियोजन/संयुक्त निदेशक अभियोजन पुनः यह सुनिश्चित कर लेंगे कि श्री अशोक कुमार यादव, अभियोजन अधिकारी जनपद सीतापुर से कोई विभागीय दायक अवशेष नहीं है।

2- तदनुसार नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
संलग्नक यथोक्त।




(आशुतोष पाण्डेय),

अपर महानिदेशक अभियोजन
उ0प0, लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विशेष सचिव गृह (पुलिस) अनुभाग-9 उ0प0शासन का उनके कार्यालय ज्ञाप संख्या-2675(2)/छ-पु0-9-18-31(120)/17, दिनांक 29.8.2019 के क्रम में सादर सूचनाथ।
2. अपर निदेशक अभियोजन, लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ।
3. परिण्ड कायाधिकारी, सीतापुर।
4. श्री अशोक कुमार यादव, अभियोजन अधिकारी, सीतापुर। (संयुक्त निदेशक अभियोजन, सीतापुर के माध्यम से)

Self attested

 (ASHOK KUMAR YADAV-IV)

(आशुतोष पाण्डेय),
अपर महानिदेशक अभियोजन
उ0प0 लखनऊ।